यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
170/2008	19.06.2008	09.07.2021

उनवान

1. रामपत पुत्र शादिया (फोत)
1/1 बिशम्बर
1/2 ओमप्रकाश
1/3 सतीश
1/4 हंसराज पुत्रान रामपत
2. शिवजी राम पुत्र शादिया (फोत)
2/1 दयाराम
2/2 रामबिलास पुत्रान शिवजीराम
2/3 सावत्री पुत्री शिवजीराम
2/4 कमलेश पुत्री शिवजीराम जाति अहीर निवासी आमोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादीगण

बनाम

1. दाताराम पुत्र तोतीया (फोत)
1/1 महिपाल
1/2 सुबेसिह
1/3 मोहन
1/4 रिसपाल उर्फ बिल्लू पुत्रान दाताराम
1/5 बिमला पुत्री दातराम
1/6 सविता पुत्री दाताराम अहीर निवासी आमोठ तहसील मुण्डावर
2. सब रजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4.जयसिंह पुत्र मंगत
5. चंदगी पुत्र मंगत जाति अहीर निवासी आमोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: तरफ प्रतिवादीगण

दावाः– ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

उपस्थिति :–

1– श्री गगांराम पटेल, वकील वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :–09.07.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 127 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 170 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा कायम किये है। वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। उक्त विवादित आराजी मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। मिन वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बध व सरोकार नही है, ना ही कभी रहा है ना ही असल प्रतिवादी के बुजर्गो का उक्त आराजी से कोई तालुकात ही रहा। हमेशा से ही उक्त आराजी पर मिन वादीगण व मिन वादीगण के बुजुर्ग व तर. प्रतिवादीगण के बुजुर्ग शादिया व मंगल काश्त करते चले आ रहे है। राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से उक्त आराजी पर मिन वादीगण व तर. प्रतिवादीगण के बुजर्ग काबिज काश्त करते आ रहे है। आज भी उक्त आराजी पर मिन वादीगण काबिज है तथा विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के रोज भी उक्त आराजी पर मिन वदीगण का कब्जा था इसलिए बाई ऑप्रेरशन ऑफ लॉ के उक्त आराजी पर मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण को खातेदारी के अधिकार हासिल हो चुके है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी के हाल रिकार्ड में सूरजभान पुत्र हेता का 1/3 भाग दर्ज चला आ रहा है तथा प्रतिवादी असल का 1/3 भाग दर्ज किया हुआ है और मिन वादीगण तथा तर0 प्रतिवादीगण का 1/3 भाग दर्ज रिकॅार्ड है जो कानून और मौके के खिलाफ है। क्योकि उक्त आराजी पर हमेशा से मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के बुजुर्ग काबिज चले आ रहे है मौके पर मिन वादीगण का कब्जा है चूंकि असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कभी भी कोई लेना देना नही रहा लेकिन राजस्व कर्मचारियो की साज बाज से उक्त रिकार्ड में अपना नाम 1/3 भाग दर्ज करा लिया जो कानून और मौके के खिलाफ है जिसे हम वादीगण हजफ कराने के अधिकारी है तथा सूरजभान पुत्र हेता ने उक्त आराजी दिनांक 23.08.52 को मदनलाल पुत्र फतेहचन्द महाजन को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दिया तथा मदनलाल ने उक्त आराजी को दिनांक 05.11.57 को मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के बुजुर्गो को जर्ये बैयनामा बेचान कर दी। जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम गलत चल रहा है। मिन वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 दाताराम के नाम को हजफ कराकर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है एवम उक्त राजस्व रिकार्ड में सूरजभान का नाम गलत चल रहा है जबकि उक्त आ[illegible] और अर्सा करीब 50 साल से पूर्व गॉव में नही है जो फौत हो चुका है। जिसे [illegible] जावे और मिन वादीगण और तर प्रतिवादीगण को उक्त आ[illegible] का खातेदार [illegible] किया जावे। उक्त आराजी पर मिन वादीगण अर्सा करीब 70 [illegible] मिन वादीगण और तर प्रतिवादीगण के नाम है। र[illegible] राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के आधार पर अमल नही किया और सूरजभान जो फौत हो चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

तथा प्रतिवादी सं0 1 दाताराम का नाम गलत चल रहा है जिनको दुरुस्त कराकर मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण सालिम आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी नम्बर 1 दाताराम व दाताराम के बुजुर्ग का कभी कोई लेना देना नही रहा ना कभी कब्जा रहा लेकिन रिकार्ड में गलत चल रहा है जिसको वादीगण हजफ कराने के अधिकारी है तथा मृतक सूरजभान का नाम भी राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज है जिसे हजफ कराकर मिन वादीगण कानूनन खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है जिस हेतु दावा इस्तकरारह दुरुस्ती बम्य हु0ई0 दवामी पेश करना लाजिम आया है। मिन वादीगण के तथा तर0 प्रतिवादीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हैं इसलिए मिन वादीगण असल प्रतिवादी सं0 1 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है निवेदन करते हुए आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम आमोठ तहसील मुण्डावर में प्रतिवादी नम्बर 1 दाताराम तथा मृतक सूरजभान का नाम हजफ कर मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण को मुताबिक हिस्से सम्भाग में खातेदार घोषित किया जावे, राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर मिन वादीगण व तर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी का अमल किये जाने के आदेश दिये जावे व असल प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे की उक्त आराजी को कही रहन, बैय मुन्तकिल ना करे ना मिन वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करे, प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को पाबन्द किया जावे की उक्त आराजी बाबत कोई दस्तावेजात बैयनामा तस्दीक ना करे आदेश दिये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के उपस्थित अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र PW-1 श्री शिवलाल, PW-2 श्री मोहन लाल, PW-3 मांगेराम पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवम रिकॉर्डेड साक्ष्य स्वरूप वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2012 प्रदर्श –2, बयनामा दिनांक 23.08.52 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2012 प्रदर्श–5, बयनामा दिनांक 06.12.1952 प्रदर्श–6, नकल खसरा नम्बर टीप संवत 2010 प्रदर्श –7, बयनामा दिनांक 05.11.1957 की फोटोकोपी पेश की है जो शामिल मिसल है।

वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये विवादित आराजी के बाबत अभिकथन किया कि असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कभी भी कोई लेना देना नही रहा लेकिन राजस्व कर्मचारियो की साज बाज से उक्त रिकार्ड में अपना नाम 1/3 भाग दर्ज करा लिया जो कानून व मौके के खिलाफ है एवम सूरजभान पुत्र हेता का 1/3 भाग दर्ज चला आ रहा था तथा सूरजभान पुत्र हेता ने उक्त आराजी को दिनांक 23.08.52 [illegible] लाल पुत्र फतेहचन्द महाजन को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दिया तथा [illegible] उक्त आराजी को दिनांक 05.11.57 को मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के बुजु[illegible] जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान कर दी थी जिसके मुताबिक [illegible] एवम तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम का अंकन नही किया गया जि[illegible] ताईद में उपरोक्तानुसार प्रदर्श–1 लगायत 7 एवम अन्य दस्तावेजात व बैयनामेजात की छायाप्रतियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

से स्पष्ट रूप से साबित किया गया है अभिकथन करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुने जाने एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उक्त विवादित आराजीयात में से सूरजभान पुत्र हेता का 1/3 भाग दर्ज चला आ रहा था तथा सूरजभान पुत्र हेता ने उक्त आराजी को दिनांक 23.08.52 को मदनलाल पुत्र फतेहचन्द महाजन को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दिया तथा मदनलाल ने उक्त आराजी को दिनांक 05.11.57 को मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के बुजुर्गो को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान कर दी थी के बाबत के प्रस्तुत दस्तावेजात यथा बैयनामेजात के अवलोकन से एवम नकल खसरा गिरदावरी संवत 2013–16 ग्राम आमोठ प्रदर्श–3 के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम आमोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वाद को डिक्री किया जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी दाताराम का एवम सूरजभान के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम इनके स्थान पर वादीगण एवम तरतीबी प्रतिवादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अर्थात उपरोक्त आराजी ख0न0 170 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के बाबत संपूर्ण रकबे के संभाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवम असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण एवम तरतीबी प्रतिवादीगण के हक, हिस्से आराजी को उनके बुजुर्ग के नाम हो रहे अंकन के आधार पर कही रहन बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे ना ही कब्जेकाश्त में मजाहमत ही पैदा करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

यह निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:09:22 IST
Reason: SelfAttested